सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)
देहरादून, शनिवार, 21 दिसम्बर, 2002 ई0
अग्रहायण 30, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या— 460 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2002
देहरादून : दिनांक 21 दिसम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित भारतीय (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2002 को दिनांक 21.12.2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 14, सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2002

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 14, सन् 2002)

(भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा अधिनियमित)

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का उत्तरांचल राज्य में प्रवृत्ति के संबंध में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए—

अधिनियम

संक्षिप्त नाम 1— (1) अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन), 2002 कहा जायेगा।

विस्तार और — (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।

प्रारम्भ — (3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें।

अधिनियम — भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की (अनुसूची 1—ख) में,
सं0— 2 सन्
1899 (क) अनुच्छेद 35 (पटटा) में, — ....
की (एक) खण्ड (क) में, उपखण्ड (VI),(VII) और (VIII) के स्थान पर निम्नलिखित
(अनुसूची उपखण्ड रख दिये जायेगें, अर्थातः
1—ख) का

संशोधन	(टप) जहॉ कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिये या शाश्वता के लिये तात्पर्यित है या किसी निश्चित अवधि के लिये तात्पर्यित नहीं हे।	शुल्क जा सम्पत्ति के, को पट्टे की विषय बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले पत्र (सं0—23 खण्ड (क) पर देय हो।

(दो) खण्ड (ख) ओर (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थातः—

(ख) जहॉ कि पट्टा किसी नजराने या प्रीमियम के लिय या अग्रिम दिये गये धन के लिये मंजूर किया गया है और जहॉ कि कोई भाटक आरक्षित नहीं है :—

(एक) जहॉ कि पट्टा तीस वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है।,	वही शुल्क जो ऐसे नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टा मे उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (सं0–23 खण्ड (क)) पर देया हों।
(दो) जहॉ कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है,	वहीं शुल्क जो सम्पत्ति के, को पट्टे की विषय वस्तु हों बाजार मूल्य के, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (सं0–23 खण्ड(क)) पर देय हों,
(एक) जहॉ कि पट्टा तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिये तात्पर्यित हैं	वही शुल्क जो ऐसे नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टा में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (सं0–23 खण्ड (क)) पर देय हो और जो उसके शुल्क के अतिरिक्त होगा जो उस दशा में, जिसमें कि कोई नजराना या प्रीमियम या अग्रिम धन नहीं दिया गया है। या परिदत्त नहीं किया गया है, ऐसे पट्टे पर देय होता– परन्तु किसी भी दशा में जब पट्टा करने का करार, पट्टे के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार स्टाम्प से स्टाम्पित है, ओर ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात निष्पादित किया गया है, तब ऐसे पट्टे पर शुल्क पचास रूपये से अधिक नहीं होगा।
(दो), जहॉ कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है,	वहीं शुल्क जो सम्पत्ति के, को पट्टे की विषय वस्तु हो, बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (सं0–23 खण्ड (क)) पर देया हो।
(तीन) स्पष्टीकरण (5) निकाल दिया जायेगां	

निरसन 3– भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2002 (अध्यादेय सं0– 5, वर्ष 2002) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,
(यू0सी0 ध्यानी)
अपर सचिव।

<u>सं0– – 193(2)/XXVII(5)/स्टाम्प/(02/स्टाम्प/04)/2004 तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तरांचल शासन।
2. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल, देहरादून।
3. मण्डलायुक्त, कुमाऊ एवं गढ़वाल।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. श्री आर0सी0 परिहार, अध्यक्ष, कूर्माचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद, 71 सालावाला।
6. सहायक महानिरीक्षक, देहरादून।
7. न्यायी/विधायी विभाग।
8. गोपनीय अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव।